

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17032020-218705
CG-DL-E-17032020-218705

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1008]
No. 1008]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2020/फाल्गुन 27, 1941
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2020/PHALGUNA 27, 1941

गृह मंत्रालय
(जम्मू, कश्मीर एवं लद्दाख कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मार्च, 2020

का. आ.1115 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्वारा यह निर्देश देते हैं कि लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, रियल एस्टेट (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16) के अंतर्गत, धारा 82 एवं धारा 84 के तहत प्रदत्त शक्तियों से भिन्न, उपयुक्त सरकार की शक्तियों एवं कृत्यों का प्रयोग एवं निर्वहन, राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्वधीन एवं अगले आदेशों तक, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 12015/22/2020-एल]

सुनील कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Department of Jammu, Kashmir and Ladakh Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2020

S.O.1115(E).—In pursuance of the powers conferred under clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the powers and functions of the appropriate Government under the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016), other than the powers under section 82 and section 84, shall, subject to the control of the President and until further orders, be exercised and discharged, in relation to the Union Territory of Ladakh, by the Lieutenant Governor of Union Territory of Ladakh.

[F. No. 12015/22/2020-L]

SUNIL KUMAR, Under Secy.